

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय  
काम्पलेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल-23

क्रमांक/तक./हाईटेक हब/2026-27/..... (संक्षिप्त) /1528

भोपाल, दिनांक 25-6-2026

**शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2026-27)**

कृषकों को कृषि फसलों हेतु आधुनिक कृषि उपकरण देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर हाईटेक हब स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से "आन-लाईन" आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाइट [www.chc.mpdage.org](http://www.chc.mpdage.org) के माध्यम से निम्न श्रेणियों अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में रु. 1.00 लाख के बैंक ड्रॉफ्ट की फोटो प्रति अपलोड की जानी होगी। बैंक ड्रॉफ्ट "संचालक, कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल" के नाम से बनाया जाना होगा। ऐसे आवेदक जो चयन उपरांत हाईटेक हब स्थापित करने में असफल होंगे उनकी **धरोहर राशि की 15 प्रतिशत राशि राजसात कर ली जायेगी।**

क्रं.	शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब	लक्ष्य			
		सामान्य	अनु.ज.जा.	अनु.ज.	योग
1	गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण - प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रु. 1.30 करोड़ तक रखी जा सकती है तथा प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 52.00 लाख तक अनुदान देय होगा।	11	2	2	15
योग		11	2	2	15

संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रत्येक हाईटेक हब हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों का उल्लेख विस्तृत विज्ञापन में प्रदाय किया गया है। अनुदान की गणना सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना में प्रदत्त दिशा-निर्देशों में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जायेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के "एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड" (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

**कार्यक्रम अंतर्गत समय सीमायें निम्नानुसार है-**

1.	आवेदन करने की अवधि	दिनांक 30 जून 2026 से 13 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	दिनांक 14-15 जुलाई 2026 प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रोजेक्टों का अवलोकन किया जायेगा।
3.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	दिनांक 17 जुलाई 2026 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल <a href="http://www.chc.mpdage.org">www.chc.mpdage.org</a> पर 17 जुलाई 2026 को शाम 4.00 बजे से देखी जा सकेंगी।)

विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाइट ([www.chc.mpdage.org](http://www.chc.mpdage.org)) पर देखा जा सकता है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी  
मध्यप्रदेश भोपाल

**कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय**  
**काम्पलेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल-23**

क्रमांक/तक./हाईटेक हब/2026-27/

(विस्तृत)/1528

भोपाल, दिनांक 25-6-2026

**शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2026-27)**

कृषकों को कृषि फसलों हेतु आधुनिक कृषि उपकरण देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर हाईटेक हब स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तिगत आवेदकों से "ऑन-लाइन" आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाईट [www.chc.mpdage.org](http://www.chc.mpdage.org) के माध्यम से निम्न श्रेणियों अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में रु. 1.00 लाख के बैंक ड्रॉफ्ट की फोटो प्रति अपलोड की जानी होगी। बैंक ड्रॉफ्ट "संचालक, कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल" के नाम से बनाया जाना होगा। ऐसे आवेदक जो चयन उपरांत हाईटेक हब स्थापित करने में असफल होंगे उनकी धरोहर राशि की 15 प्रतिशत राशि राजसात कर ली जायेगी।

**शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब के लक्ष्य -**

क्रं.	शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब	लक्ष्य			
		सामान्य	अनु.ज.जा.	अनु.ज.	योग
1	गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण - प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रु. 1.30 करोड़ तक रखी जा सकती है तथा प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 52.00 लाख तक अनुदान देय होगा।	11	2	2	15
योग		11	2	2	15

संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। (परिशिष्ट-1 में संलग्न)  
**शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब हेतु अनिवार्य यंत्र निम्नानुसार लिये जा सकते हैं:-**

क्रमांक	यंत्र का नाम	अधिकतम संख्या
1	शुगरकेन हार्वेस्टर	1
2	इन्फिल्डर (हाईड्रोलिक सिस्टम के साथ न्यूनतम 4 टन क्षमता)	2
3	ट्रेक्टर (न्यूनतम 50 एचपी)	2
4	ट्रेक्टर (50 एचपी से कम)	1
5	रेटून मैनेजर	1
6	शुगरकेन कटर प्लांटर	1
7	मल्टी टूलबार (टूल्स के साथ)	1
8	सब सॉइलर	1

शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रु. 1.30 करोड़ तक रखी जा सकती है। हितग्राहियों को प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 52 लाख तक का अनुदान देय होगा।

नोट :-

1. आवेदक अनिवार्य यंत्रों का क्रय करने हेतु प्रोजेक्ट की लागत को राशि रु. 1.70 करोड़ तक रख सकता है किंतु अनुदान की गणना राशि रु. 1.30 पर ही की जायेगी।
2. भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05 मई 2025 के दिशा निर्देशानुसार स्वचलित यंत्र ( राशि रु. 1 लाख से अधिक) पर AI-powered telematic kit (GPS System) होना अनिवार्य है। AI-powered telematic kit (GPS System) के बिना इन यंत्रों पर अनुदान देय नहीं होगा।



उपरोक्त प्रोजेक्ट के साथ शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब के कार्यक्षेत्र, क्रियान्वयन की रूपरेखा, लाभान्वित होने वाले कृषकों की अनुमानित जानकारी आदि भी प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रोजेक्टों अंतर्गत अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के “एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड” (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

### सामान्य शर्तें एवं पात्रता –

1. शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब हेतु प्रोजेक्ट के साथ शुगरमिल से कार्य उपलब्ध होने का अनुबंध भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जायेगा। प्राथमिकता क्रम सूची में से लक्ष्य अनुसार आवेदकों का चयन कर लाभ प्रदाय किया जायेगा।
3. चयनित आवेदकों द्वारा प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के कार्यालय (सूची संलग्न) में प्रस्तुत करना होगा। प्रोजेक्ट की विषयवस्तु तथा क्रियान्वयन का अवलोकन संभागीय समिति के द्वारा किया जाकर अंतिम निर्णय लिया जावेगा। कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण कर यह देखा जायेगा कि आवेदक ने प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रस्तुत किया है अर्थात् आवेदक द्वारा पंजीकृत निर्माताओं से पंजीकृत सामग्री का क्रय संचालनालय के डीबीटी पोर्टल पर निर्धारित दरों के अधीन ही किया जा रहा है अथवा नहीं। प्रोजेक्ट उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट का आवेदन एआईएफ अंतर्गत आवेदक से प्रस्तुत करवाना होगा। भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने पर भविष्य में उन्हें अनुदान की पात्रता संचालनालय की योजनाओं के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार बैंक एण्डेड सबसिडी के रूप में होगी। संबंधित आवेदक को यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराना होगा कि आवंटन के अभाव में अनुदान राशि के आहरण में विलंब हो सकता है। अतः विलम्ब के लिए संचालनालय अथवा अधीनस्थ कोई भी कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
4. आवेदकों से प्राप्त प्रोजेक्टों का परीक्षण संभाग स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा एवं उपयुक्त प्रोजेक्ट पर अनुमति प्रदान की जायेगी।
5. एआईएफ के माध्यम से स्वीकृति के उपरांत आवेदक का प्रोजेक्ट ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को सीधे कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत हितग्राही द्वारा केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
6. स्वीकृत बैंक ऋण में सबसिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी।
7. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।
8. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नहीं जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से भुगतान करने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी।
9. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये

जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी।

10. हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। मशीनों/यंत्रों के रख-रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक/हितग्राही को स्वयं करनी होगी।
11. हाईटेक-हब स्थापना उपरांत बैंक द्वारा संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री से अनुदान राशि की मांग की जाएगी। कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा केन्द्र का भौतिक सत्यापन संयुक्त रूप से बैंक अधिकारी एवं सहायक कृषि यंत्री से कराया जाएगा। भौतिक सत्यापन में उपयुक्त पाये गये आवेदनों पर नियमानुसार अनुदान की राशि संबंधित बैंक को बैंक एण्डेड सबसिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
12. व्यक्तिगत श्रेणी में वे ही आवेदक पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी होकर प्रदेश में ही निवास कर रहे हों।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत व्यक्ति तथा शासकीय योजनाओं की सहायता से स्व-रोजगार स्थापित किये आवेदक एवं पूर्व में इस योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे अर्थात् योजना के लिये पात्र नहीं होंगे।
14. आवेदक जिस जिले (परिशिष्ट – 1 अनुसार) में हाईटेक हब स्थापित करना चाहता है उसी जिले (परिशिष्ट – 1 अनुसार) की बैंक शाखा से अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा।
15. एक परिवार में एक ही हाईटेक हब/ धान स्ट्रा सप्लाई चैन/कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। अन्य योजनाओं अंतर्गत स्थापित हाईटेक हब/ धान स्ट्रा सप्लाई चैन/कस्टम हायरिंग केन्द्र को भी इस योजना के अंतर्गत केन्द्र आवंटन के समय ध्यान में रखा जावेगा। पूर्व में स्थापित शुगरकेन हाईटेक हब की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
16. एक ग्राम पंचायत में एक ही शुगरकेन हाईटेक हब स्थापित किया जा सकता है। जिन ग्राम पंचायतों में पूर्व से ही शुगरकेन हाईटेक हब स्थापित है उन ग्राम पंचायतों में हाईटेक हब स्थापित किये जाने की पात्रता नहीं होगी। पूर्व में स्थापित शुगरकेन हाईटेक हब के ग्रामों की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
17. आवेदक मध्य प्रदेश के जिस जिले का निवासी है, उसी जिले (परिशिष्ट – 1 अनुसार) से ही आवेदन करना आवश्यक है।
18. आवेदक को अपनी स्वेच्छानुसार बैंक चयन करने की स्वतंत्रता है।
19. जिले अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी में (सामान्य, अ.जा. एवं अ.ज.जा.) केवल एक ही लक्ष्य प्रदाय किया जायेगा एवं एक जिले में अधिकतम 3 केन्द्र ही स्थापित किये जा सकते हैं। यदि प्राथमिकता सूची से किसी जिले का आवेदक शुगरकेन हाईटेक हब स्थापित करने में असफल होता है तो उस श्रेणी की प्राथमिकता सूची से उस जिले के अगले आवेदक को अवसर प्रदान किया जायेगा।


**कार्यक्रम अंतर्गत समय सीमायें निम्नानुसार है—**

1	आवेदन करने की अवधि	दिनांक 30 जून 2026 से 13 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	दिनांक 14-15 जुलाई 2026 प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रोजेक्टों का अवलोकन किया जायेगा।
3.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	दिनांक 17 जुलाई 2026 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी।



जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.	आवेदन का संभाग	आवेदन का जिला	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक
1	नर्मदापुरम्	नर्मदापुरम् एवं बैतूल	संभागीय कृषि यंत्री, इटारसी रोड पवारखेड़ा, नर्मदापुरम्
2	इंदौर	बुरहानपुर, धार, बड़वानी एवं खरगौन	संभागीय कृषि यंत्री, कोशल विकास केन्द्र, रिंग रोड़, हंस ट्रेवल्स के पास, पिपलियाहाना, मूसा-खेड़ी, इन्दौर दूरभाष - 0731-2368440/2997130
	ग्वालियर	दतिया एवं ग्वालियर	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़, ग्वालियर, दूरभाष - 0751-2364595
4	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर एवं छिंदवाडा	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष -0761-2680928

  
 संचालक कृषि अभियांत्रिकी  
 मध्यप्रदेश भोपाल

**परिशिष्ट-1**

हाईटेक हब स्थापित करने हेतु आवेदन के जिलों की सूची -

क्रमांक	जिला	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	योग
1	बैतूल	11	2	2	15
2	नरसिंहपुर				
3	छिंदवाडा				
4	खरगौन				
5	दतिया				
6	बड़वानी				
7	धार				
8	बुराहनपुर				
9	जबलपुर				
10	नर्मदापुरम्				
11	ग्वालियर				

  
 संचालक कृषि अभियांत्रिकी  
 मध्यप्रदेश भोपाल